न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 60/2018 – निगरानी

1. ग्राम पंचायत नेगड़िया जरिये सरपंच श्रीमती मैना गुर्जर एवं सचिव परशुराम राय, पंचायत समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा –निगराकार	बनाम	1. जसवंत पिता भैरूलाल खटीक निवासी खातोला ग्राम पंचायत नेगडिया पंचायत समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा – गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बमामले ग्राम पंचायत नेगडिया की मिसल सं. 127/16–17 में पटटा सं. 25 को निरस्त करने बाबत्

उपस्थित –

1. श्री बी.एल.बापना अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री पुनीत कुमार शर्मा अधिवक्ता – गैर निगराकार की ओर से

निर्णय

दिनांक 30.05.2018

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि सन् 2017 में राज्य सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण पटटा वितरण अभियान चलाया गया । योजना को सफल बनाने के लिए उच्चाधिकारियों के मौखिक निर्देशों की पालना में ग्राम पंचायत नेगडिया ने उन लोगों के मकानों के पटटे इस अभियान में बनाये जिनके मकानों के पटटे नहीं बने हुये थे। इस अभियान के समय पटवारियों एवं ग्राम सचिवों की हड़ताल चल रही थी, जिससे उनको सहयोग भूमि की किस्म का विवरण जानने हेतु प्राप्त नहीं हो सकी और ग्राम पंचायत नेगडिया ने यह जानते हुए कि गैर निगराकार का जो पुराना मकान बना हुआ है, वह आबादी भूमि में ही होगा , उसका व अन्य लोगों के पटटे बना दिये। ग्राम पंचायत नेगडिया ने पटटा बनाने व वितरण करने का यह कार्य सद्भाविक तौर से और ग्रामीण लोगों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से किया था। इस कार्य में जानबूझकर कोई भी भूल, गलती या शिथिलता नहीं रखी गयी थी। दिनांक 05.01.2018 को ग्राम पंचायत नेगडिया द्वारा मीटिंग आयोजित की गयी। जिसमें कोरम की बैठक में वार्ड पंच श्री खमाण गुर्जर ने यह जाहिर किया कि दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण पटटा वितरण अभियान 2017 में ग्राम पंचायत द्वारा जो पटटे वितरित किये गये उसमें कई पटटे नगर पालिका आसीन्द की सीमा में स्थित भूमि में बने हुए मकानों के भी बन चुके है। पटवारी हल्का से जानकारी करने पर बताया कि ग्राम पंचायत नेगडिया का एक मजरा खातोला है। उस गांव का आधा भाग नगर पालिका आसीन्द की सीमा में आता है। जिससे नगर पालिका आसीन्द की सीमा में आने वाले भाग में ग्राम पंचायत नेगडिया को आवासीय पटटे देने का अधिकार नहीं हैं लेकिन चूंकि खातोला गांव बसा हुआ था जिसके आधे भाग को नगर पालिका सीमा में सम्मिलित कर दिये जाने की जानकारी ग्राम पंचायत नेगडिया को नहीं हो सकी जिससे ग्राम पंचायत नेगडिया ने ग्राम खातोला के उस भाग में

अति. जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)

भी आवासीय पटटे जारी कर दिये जो नगर पालिका आसीन्द की सीमा में आ गये थे। जानकारी मिलने पर ग्राम पंचायत नेगडिया ने इस विषम स्थिति से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया तो उन्होंनें सलाह दी कि चूंकि बिलानाम सरकारी भूमि एवं नगर पालिका क्षेत्र में पटटे देने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। ग्राम पंचायत तो केवल आबादी भूमि में ही कोई पटटा बना सकती है। इसलिये ग्राम पंचायत को चाहिये कि वह सरकारी भूमि में गैर निगराकार व अन्य लोगों को दिये गये पटटों को निरस्त कराने के लिये सक्षम अधिकारी के यहां पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी प्रस्तुत करें । अतः प्रार्थना हैं कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण पटटा वितरण अभियान 2017 में गैर निगराकार को बिलानाम सरकारी भूमि एवं नगर पालिका क्षेत्र में दे दिये गये उक्त आवासीय पटटे को निरस्त कराया जावे।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 14.02.2018 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये व ग्राम पंचायत नेगडिया से पत्रावली तलब की गयी। ग्राम पंचायत नेगडिया ने रिकार्ड प्रस्तुत किया।

निगराकार अधिवक्ता उपस्थित। निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 07 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि सन् 2017 में राज्य सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण पटटा वितरण अभियान चलाया गया। योजना को सफल बनाने के लिए उच्चाधिकारियों के मौखिक निर्देशों की पालना में ग्राम पंचायत नेगडिया ने उन लोगों के मकानों के पटटे इस अभियान में बनाये जिनके मकानों के पटटे नहीं बने हुये थे। इस अभियान के समय पटवारियों एवं ग्राम सचिवों की हड़ताल चल रही थी, जिससे उनको सहयोग भूमि की किस्म का विवरण जानने हेतु प्राप्त नहीं हो सकी और ग्राम पंचायत नेगडिया ने यह जानते हुए कि गैर निगराकार का जो पुराना मकान बना हुआ है, वह आबादी भूमि में ही होगा , उसका व अन्य लोगों के पटटे बना दिये। ग्राम पंचायत नेगडिया ने पटटा बनाने व वितरण करने का यह कार्य सद्भाविक तौर से और ग्रामीण लोगों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से किया था। इस कार्य में जानबूझकर कोई भी भूल, गलती या शिथिलता नहीं रखी गयी थी। दिनांक 05.01.2018 को ग्राम पंचायत नेगडिया द्वारा मीटिंग आयोजित की गयी। जिसमें कोरम की बैठक में वार्ड पंच श्री खमाण गुर्जर ने यह जाहिर किया कि दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण पटटा वितरण अभियान 2017 में ग्राम पंचायत द्वारा जो पटटे वितरित किये गये उसमें कई पटटे नगर पालिका आसीन्द की सीमा में स्थित भूमि में बने हुए मकानों के भी बन चुके है। पटवारी हल्का से जानकारी करने पर बताया कि ग्राम पंचायत नेगडिया का एक मजरा खातोला है। उस गांव का आधा भाग नगर पालिका आसीन्द की सीमा में आता है। जिससे नगर पालिका आसीन्द की सीमा में आने वाले भाग में ग्राम पंचायत नेगडिया को आवासीय पटटे देने का अधिकार नहीं हैं लेकिन चूंकि खातोला गांव बसा हुआ था जिसके आधे भाग को नगर पालिका सीमा में सम्मिलित कर दिये जाने की जानकारी ग्राम पंचायत नेगडिया को नहीं हो सकी जिससे ग्राम पंचायत नेगडिया ने ग्राम खातोला के उस भाग में भी आवासीय पटटे जारी कर दिये जो नगर पालिका आसीन्द की सीमा में आ गये थे। जानकारी मिलने पर ग्राम पंचायत नेगडिया ने इस विषम स्थिति से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया तो उन्होंनें सलाह दी कि चूंकि बिलानाम सरकारी भूमि एवं नगर पालिका क्षेत्र में पटटे देने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। ग्राम पंचायत तो केवल आबादी भूमि में ही कोई पटटा बना सकती है। इसलिये ग्राम पंचायत को चाहिये कि वह सरकारी भूमि में गैर निगराकार व अन्य लोगों को दिये गये पटटों को निरस्त कराने के लिये सक्षम अधिकारी के यहां पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी प्रस्तुत करें। प्रार्थना हैं कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

फरमायी जाकर दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण पटटा वितरण अभियान 2017 में गैर निगराकार को बिलानाम सरकारी भूमि एवं नगर पालिका क्षैत्र में दे दिये गये उक्त आवासीय पटटे को निरस्त कराया जावे।

गैर निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम खातोला में दिनांक 20.02.2017 को पटटे के लिए आवेदन किया। दिनांक 05.03.2017 को 3 वार्ड पंचों की कमेटी बनायी गयी। दिनांक 20.03.2017 को वार्ड पंचों ने अपनी रिपोर्ट पेश की। सम्पूर्ण सिविल प्रकिया की पालना करते हुये पटटा जारी किया गया। रजिस्टर्डशुदा पटटा हैं, जिसे निरस्त कराने हेतु सिविल न्यायालय ही सक्षम हैं। यह न्यायालय सक्षम नहीं है। सरपंच/सचिव द्वारा मौका करने के पश्चात ही पटटा जारी किया गया हैं। ग्राम खातोला जो कि ग्राम पंचायत नेगडिया के अन्तर्गत ही आता हैं व गैर निगराकार के मकान भी ग्राम पंचायत नेगडिया में ही आता है तथा सभी सुख सुविधाएं गैर निगराकार सं. 01 को निगराकार द्वारा ही प्रदत्त की जा रही है व जो पटटा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया हैं, जो विधिवत तौर पर जारी किया गया हैं। निगराकार द्वारा गैर निगराकार को पटटा जारी करने के पश्चात् पटटे के आधार पर रजिस्ट्री भी करवा दी गयी है। मिथ्या तथ्यों के आधार पर निगरानी पेश की हैं, जो सारहीन होने से खारिज होने योग्य है। गैर निगराकार ने विधिक दृष्टान्त आरआरटी 2015 (2) पेज नं. 967 पेश किया ।

निगराकार अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत कार्यवाही विवरण दिनांक 05.05.2017 में भवन/मकान किस खसरा नं. की आबादी भूमि में स्थित हैं, होने का अंकन नहीं है। मौका निरीक्षण प्रपत्र दिनांक 08.03.2017 में मकान आबादी में होना अंकित किया हैं, लेकिन पटटे वाली 2518.12 वर्ग फीट भूमि में से 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षैत्रफल का अंकन नहीं हैं, जबकि सरपंच ग्राम पंचायत नेगडिया ने गैर निगराकार के नाम नगर पालिका क्षैत्र में आवासीय पटटा जारी करना अपने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित करते हुये उक्त पटटे को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

157 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 इस प्रकार हैं –

पुराने गृहों का विनियमतीकरण –

1. जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पटटा जारी किये जाने के इच्छुक हैं वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारूप 23–क में पंचायत द्वारा पटटा जारी किया जा सकेगा ।

(i) 300 वर्गगज तक के क्षैत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षैत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षैत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षैत्रफल –

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में 100/–रू. संनिर्मित पुराने गृहों के लिए ।

(ख) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षों के दौरान 200/–रू. संनिर्मित पुराने गृहों के लिए

(ii) उपर्युक्त खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट क्षैत्रफल से अधिक क्षैत्रफल के लिए, राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)

गैर निगराकार द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत नेगडिया को प्रस्तुत प्रार्थना

पत्र में ग्राम खातोला में पुश्तैनी मकान किस आराजियात पर स्थित हैं? का अंकन नहीं किया गया है। गैर निगराकार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में पूर्ण जानकारी नही देने से गैर निगराकार को जारी पटटा सं. 25 विधि विरूद्व बिलानाम भूमि में जारी किया जाना प्रतीत होता है। सरपंच ग्राम पंचायत नेगडिया एवं सचिव ग्राम पंचायत नेगडिया ने भी अपने निगरानी प्रार्थना पत्र में बिलानाम सरकारी भूमि एवं नगर पालिका क्षैत्र में गैर निगराकार के पक्ष में आवासीय पटटा जारी करना अंकित किया है। बिलानाम भूमि में एवं नगर पालिका क्षैत्र में आवासीय भूमि का पटटा जारी करने के अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। उक्त जारी पटटा प्रारम्भ से ही शून्य होकर विधि विरूद्व हैं। उक्त जारी किया गया पटटा विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाती है। साथ ही पटटा दिनांक 05.05.2017 को कार्यरत सरपंच ग्राम पंचायत नेगड़िया एवं सचिव ग्राम पंचायत नेगड़िया ने बिलानाम भूमि एवं नगर पालिका क्षैत्र में पटटे जारी करके विधि विरूद्ध कार्य किया हैं जो लोक सेवक के कर्तव्यों के विपरीत है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 38 के तहत पटटा दिनांक 05.05.2017 को कार्यरत सरपंच ग्राम पंचायत नेगड़िया एवं सचिव ग्राम पंचायत नेगड़िया के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाडा को लिखा जाना युक्तियुक्त है। अतएव –

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत नेगडिया स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत नेगडिया पटटा सं. 25 मिसल सं. 127 सन् 16–17 को निरस्त किया जाता है। पटटा दिनांक 05.05.2017 को कार्यरत सरपंच व ग्राम सचिव ग्राम पंचायत नेगड़िया ने बिलानाम भूमि एवं नगर पालिका क्षैत्र में पटटे जारी करके विधि विरूद्ध कार्य किया हैं जो लोक सेवक के कर्तव्यों के विपरीत है। पंचायतीराज अधिनियम की धारा 38 के तहत पटटा दिनांक 05.05.2017 को कार्यरत सरपंच के विरूद्व कार्यवाही हेतु एवं ग्राम सचिव ग्राम पंचायत नेगड़िया के विरूद्व सी.सी.ए. रूल्स 1958 के तहत कार्यवाही करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाडा को लिखा जावे कि पटटा दिनांक 05.05.2017 को कार्यरत सरपंच के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर के माध्यम से राज्य सरकार को प्रकरण प्रेषित किया जावे एवं ग्राम सचिव ग्राम पंचायत नेगडिया के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही कर पालना से 2 माह में अवगत कराया जावे। उक्त निर्णय की प्रति श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय (पंचायत) भीलवाडा को भी प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाडा को प्रेषित किया जावे । निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत नेगडिया पंचायत समिति आसीन्द को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.5.18

(एल.आर. गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा (राज.)